

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्डुन**

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 231/2014

दायर दिनांक-09-10-2014

1. सुरजाराम पुत्र हीराराम जाति रैगर निवासी ग्राम खिरोड तहसील नवलगढ़ जिला झुन्डुन राजस्थान।  
- वादी

**बनाम**

1. बदीप्रसाद पुत्र हीराराम
2. बाबूलाल पुत्र हीराराम
3. दिनेश कुमार पुत्र हीराराम
4. कालूराम पुत्र मोतीराम
5. मदनलाल पुत्र कमला
6. रामचन्द्र पुत्र केशर
7. ओमप्रकाश पुत्र केशर
8. लालचन्द पुत्र केशर
9. मोहिनी पत्नी केशर

समस्त जातिगण रैगर निवासी ग्राम खिरोड तहसील नवलगढ़ जिला झुन्डुन राजस्थान।

10. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार, नवलगढ़ जिला झुन्डुन (राज.)

**-प्रतिवादीगण**

वकील वादी : - श्री अशोक कुमार जांगिड़  
वकील प्रति. नं. :- श्री किशोर कुमार जांगिड़  
श्री तरुण कुमार मित्तार

**दावा बाबत विभाजन  
व स्थाई निषेधाज्ञा**

**--:: निर्णय ::--**

दिनांक : 31.10.2025

वाद वादी दिनांक 03.06.2022 को प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार नवलगढ़ को मौका कमीश्नर नियुक्त किया गया एवं मुताबिक निर्णय पक्षकारान की मौजूदगी में कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया गया। तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: भू0 अ0/2025/8080 दिनांक 04.06.2025 द्वारा प्रस्तुत करने पर बहस विभाजन प्रस्ताव वकील उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली व विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। राजस्व ग्राम खिरोड की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 1671 रकबा 0.54 हैक्टर भूमि में निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है:-

क्र. स.	घोषित खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
1	कालु पिता मोती हिस्सा 1/3 जाति रैगर साकिन देह खातेदार दिनेश, बाबूलाल, बदीप्रसाद, सुरजा पिता हिरा हिस्सा 1/3 मोहिनी पत्नी केशर, ओमप्रकाश, रामचंद्र लालचंद पिता केशर हिस्सा 1/6 मदन पिता कमला हिस्सा 1/6 जाति रैगर साकिन देह खातेदार	1671/1	0.055	गैर0 मु0 रास्ता
2	कालु पिता मोती जाति रैगर साकिन देह खातेदार	1671/2 1671/3	0.0696 0.0920	बाराणी 1

**महायुक्त कलक्टर एवं कार्यपालक  
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़**

3	दिनेश, बाबूलाल, बंदीप्रसाद, सुरजा पिता हिरा जाति रैगर साकिन देह खातेदार	1671/4	0.0808	बारानी 1
		1671/5	0.0809	बारानी 1
4.	मदन पिता कमला हिस्सा 1/2 मोहनी पत्नी केशर, ओमप्रकाश रामचंद्र लालचंद्र पिता केशर हिस्सा 1/2 जाति रैगर साकिन देह खातेदार	1671/6	0.0808	बारानी 1
		1671/7	0.0809	बारानी 1

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। उक्त निर्णय से यदि पक्षकारान् संतुष्ट नहीं है तो पक्षकारान् अपीलीय न्यायालय में अपील दायर करने हेतु स्वतंत्र रहेगा। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 31.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( सुशील कुमार सीमा )  
 सहायक कम्प्यूटर एवं कार्यालयिक मजिस्ट्रेट  
 (फास्ट ट्रेकिंग) नवलगढ जिला झुन्झुनू

( ओ 20 रूल्स 6-7 जाप्ता दिवानी )  
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ  
पीठासीन अधिकारी :- सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)  
मुकदमा नम्बर 231/2014

दावा : विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

( सुरजाराम बनाम बद्रीप्रसाद आदि )


यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी. वकील वादीगण मनजानिब मुददई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब- मुददालय पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 31.10.2025 निर्णय वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। राजस्व ग्राम खिरोड़ की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 1671 रकबा 0.54 हैक्टर भूमि में निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है:-

क्र. स.	घोषित खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
1	कालु पिता मोती हिस्सा 1/3 जाति रैगर साकिन देह खातेदार दिनेश, बाबूलाल, बद्रीप्रसाद, सुरजा पिता हिरा हिस्सा 1/3 मोहनी पत्नी केशर, ओमप्रकाश, रामचंद्र लालचंद पिता केशर हिस्सा 1/6 मदन पिता कमला हिस्सा 1/6 जाति रैगर साकिन देह खातेदार	1671/1	0.055	गैर0 मु0 रास्ता
2	कालु पिता मोती जाति रैगर साकिन देह खातेदार	1671/2 1671/3	0.0696 0.0920	बारानी 1 बारानी 1
3	दिनेश, बाबूलाल, बद्रीप्रसाद, सुरजा पिता हिरा जाति रैगर साकिन देह खातेदार	1671/4 1671/5	0.0808 0.0809	बारानी 1 बारानी 1
4.	मदन पिता कमला हिस्सा 1/2 मोहनी पत्नी केशर, ओमप्रकाश रामचंद्र लालचंद पिता केशर हिस्सा 1/2 जाति रैगर साकिन देह खातेदार	1671/6 1671/7	0.0808 0.0809	बारानी 1 बारानी 1

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 31.10.2025 को जारी की गई।

  
महासहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट  
(फास्ट-ट्रेक) नवलगढ जिला झुन्झुनू

मौका रिपोर्ट  
( विभाजन प्रस्ताव )

मैं .....(नाम) तहसीलदार नवलगाँव, न्यायालय सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी, नवलगाँव के आदेश क्रमांक/राजस्/2025/65 दिनांक 7/12/25 की पालना में भूमि के विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु आज दिनांक 7/5/25 समय 10:00 AM बजे आराजी खसस नम्बर-1671, रकम - 0.548 वाके खसस खिराड पटवार हल्का खिराड पर श्री नाबुलगाँव (ILR), सदीप गाबि (पञ्चमी) नायब तहसीलदार / भू अभिलेख निरीक्षक / पटवारी के साथ मौके पर पहुंचा।

न्यायालय सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी, नवलगाँव में विचाराधीन प्रकरण संख्या-231/2014 के समस्त पक्षकारों को तहसील कार्यालय से नोटिस क्रमांक ..... दिनांक ..... द्वारा जारी किये गये थे जिनकी तामील विधिवत रूप से करवायी गयी। समस्त पक्षकारों में से मौके पर निम्न पक्षकार उपस्थित थे :-

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	वादी/ प्रतिवादी
1.	सुरजाराज	डीरराम	63	रैजट	वादी
2.	बट्टीप्रसाद	डीरराम	61	रैजट	प्रतिवादी
3.	काबुलाल	डीरराम	58	रैजट	प्रतिवादी
4.	दिनेश कुमार	डीरराम	56	रैजट	प्रतिवादी
5.	मदनलाल	कमल	70	रैजट	प्रतिवादी
6.	राजुराम	कालुराम	55	रैजट	प्रतिवादी (कालुराम का वरिस)

NOTE → कालुराम पि. मोती जाति - रैजट की वरिस हो चुकी है जो इस प्रकरण में प्रतिवादी है।

उपर्युक्त पक्षकारों की उपस्थिति में भूमि का मुआयना मौका किया गया एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम-1955 के नियम-18 से 21 के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये :-


तहसीलदार (मू.अ.)  
नवलगाँव

Samb  
पञ्चमी खिराड


खिराड



मजरी मसजिद



Sant  
मजरी मसजिद

  
01.11.2025  
07/5/2025


(...)

उपरोक्त पत्राचार की उपसंहारी में अफ्रीका म. शासन में विना जाया एवं राज. कारतकरी (राजस गण्डल) नियम - 1955 के नियम - 18 से 21 के अनुसार निम्न प्रकार से विना जात प्रस्ताव तैयार किए गए।

क्र.सं.	खातेदार	ख.नं.	रकबा (है.)	किस्म	जागत
1.	काबु फि. मोती जाति - रैजर सा. देह खातेदार दिनेश, बाबुलाल, नदीप्रसाद, सुरजा फि. द्वारा कि. $\frac{1}{3}$ , मोहनी पत्नी केजर, ओमप्रकाश, रामचंद्र लालचंद फि. केजर कि. $\frac{1}{6}$ , मदन फि. कमला कि. $\frac{1}{6}$ , जाति - रैजर सा. देह	$\frac{1671}{1}$	0.055	श.श. श.स.	
2.	काबु फि. मोती, जाति - रैजर सा. देह खातेदार	$\frac{1671}{2}$	0.0696	का.1	0.35
		$\frac{1671}{3}$	0.0920	का.2	0.45
		किसा-2	0.1616	का.1	0.80
3.	दिनेश, बाबुलाल, नदीप्रसाद, सुरजा फि. कीरा, जाति - रैजर, सा. देह खातेदार	$\frac{1671}{4}$	0.0808	का.1	0.40
		$\frac{1671}{5}$	0.0809	का.1	0.40
		किसा-2	0.1617	का.1	0.80
4.	मदन फि. कमला कि. $\frac{1}{6}$ , मोहनी पत्नी केजर, ओमप्रकाश, रामचंद्र, लालचंद फि. केजर कि. $\frac{1}{6}$ , जाति - रैजर, सा. देह खातेदार	$\frac{1671}{6}$	0.0808	का.1	0.40
		$\frac{1671}{7}$	0.0809	का.2	0.40
		किसा-2	0.1617	का.2	0.80

राष्ट्रिय प्रशासकीय  
मदन काम

Samb  
पञ्जाबी खिरीस

  
J.L. Rain

तहसीलदार (मू.अ.)  
नवलगढ़

उक्त विभाजन प्रस्ताव मौके पर उपस्थित पक्षकारों और मौतबिरानों को पढ़कर सुनाये गये। मौके पर उपस्थित पक्षकारों ने पढ़, सुन एवं समझ कर निम्न प्रकार हस्ताक्षर किये :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	जाति	हस्ताक्षर	वादी/
1	रघुराम	रघुराम	ब्राह्मण	रघुराम	प्रतिवादी.
2	मदन लाल	कमला	ब्राह्मण	मदन लाल	(प्रतिवादी)

निम्न पक्षकारों ने विभाजन प्रस्ताव पढ़, सुनकर, समझ कर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया :-


क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	वादी/
1	सुरजाम	हीराम	63	ब्राह्मण	प्रतिवादी.
2	वहीप्रसाद	हीराम	61	ब्राह्मण	प्रतिवादी
3	बाबूलाल	हीराम	58	ब्राह्मण	प्रतिवादी
4	दिनेश कुमार	कमल हीराम	56	ब्राह्मण	प्रतिवादी

मौके पर अन्य मौतबिरान को भी उक्त विभाजन प्रस्ताव पढ़कर सुनाये गये और निम्न प्रकार हस्ताक्षर करवाये गये :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	पता/ मोबाईल नं..

इस प्रकार आज दिनांक ..... को यह मौका रिपोर्ट तैयार की गई है।

सचिव महाध  
पक्षी सिंह  
हस्ताक्षर  
पटवारी

  
हस्ताक्षर  
निरीक्षक

हस्ताक्षर  
नवलगढ़ (म.प्र.)  
नवलगढ़

